गोविंद रा.पटवर्धन
सचिव

गृह मंत्रालय,
राजभाषा विभाग

अ.शा.पत्र संख्या I/14011/01/2003-रा.भा.(नीति-1)

दिनांक: 15 सितम्बर, 03

प्रिय महोदय/महोदया,

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में विभिन्न स्त्रोतों से राजभाषा विभाग को कई प्रकार के सुझाव और शिकायतें मिलती रहती हैं । इनमें राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) और राजभाषा नियम 5 के उल्लंघन संबंधी शिकायतें भी प्राप्त होती रहती हैं । सरकार की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की अवश्य है किन्तु धारा 3(3) और नियम 5 के उल्लंघन के मामले गंभीरता-पूर्वक लिए जाने चाहिए । मुझे आशा है कि आप अपने संबंधित अधिकारियों को धारा 3(3) और नियम 5 के अनुपालन के लिए उचित निर्देश जारी करेंगे ।

2. राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी अपना नित का काम हिंदी में अवश्य करें । सभी अधिकारी मिसिलों पर टिप्पणी के अंत में अपने हस्ताक्षर हिंदी में करके और सभी पत्रों, वेतन पर्ची आदि पर हिंदी में हस्ताक्षर करके एक अच्छी शुरूआत कर सकते हैं । मेरा आग्रह है कि आप अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को सलाह देंगे कि :

(i) मिसिलों पर टिप्पणी के अंत में अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें भले ही टिप्पणी अंग्रेजी या हिंदी में लिखी हो,

(ii) अपने स्तर पर जारी किए जाने वाले हिंदी अथवा अंग्रेजी पत्रों पर हस्ताक्षर हिंदी में करें तथा

(iii) सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना मासिक वेतन लेने के लिए हस्ताक्षर हिंदी में ही करें ।

सादर,

आपका,
हस्ता0/-
(गोविंद रा.पटवर्धन)

सेवा में,

सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।